UPSP010039542026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–श्रेय शुक्ला (उच्चतर न्यायिक सेवा)
फौजदारी अपील संख्या–30/2026

मौ0 आलम पुत्र मौ0 अकरम निवासी मौहल्ला गुलाम साबिर, कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

.....अपीलकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. श्रीमती जैनब पत्नी मौ0 आलम पुत्री मौ0 अब्बास हाल निवासी देवबंद रोड, संजय चौक, मौहल्ल शेखजादान, कस्बा व थाना नानौता, तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

.....उत्तरदातागण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी अपील अपीलकर्ता मौ0 आलम की ओर से प्रकीर्णवाद संख्या 1300/2024 श्रीमती जैनब बनाम मौ0 आलम आदि अन्तर्गत धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 में विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.03.2026 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.03.2026 जो धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया है वह विधि विरूद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय विधि का सही उपयोग नही किया गया है तथा आदेश धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्राविधानो के विरूद्ध है। उत्तरदाता संख्या–2 द्वारा अपने प्रार्थनापत्र वास्ते दिलाये जाने अन्तरिम भरण पोषण भत्ता में केवल धनीय अनुतोष धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आपत्ति करते हुए अपीलकर्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय को अवगत कराया कि उत्तरदाता संख्या–2 द्वारा परिवार न्यायालय सहारनपुर के समक्ष भरण पोषण भत्ते का एक वाद संख्या 1970/2023 श्रीमती जैनब बनाम मौ0 आलम धारा 125 दं.प्र.सं. थाना नानौता दायर किया हुआ है जो वर्तमान में अपर परिवार न्यायालय सहारनपुर में विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार अपीलकर्ता उत्तरदाता संख्या–2 व उसके पुत्र को निर्धारित भरण पोषण भत्ता नियमित रूप से प्रतिमाह अदा कर रहा है। उत्तरदाता संख्या–2 ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट नही किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा 19 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को स्वीकृत करने तथा उत्तरदाता संख्या–2 को व उसके बच्चे को मकान में रहने का आदेश पारित कर दिया है, जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अन्तरिम भरण पोषण भत्ते पर प्रस्तुत आपत्ति के पैरा संख्या–2 का ठीक प्रकार से अवलोकन नही किया है, जिमसें अपीलकर्ता द्वारा कथन किया गया कि'' वादिया मुकदमा किसी भी रूप में घरेलू हिंसा से पीडित नही है बल्कि ससुराल के पडौसी हैदर के साथ नजदीकिया बढा ली और दिनांक 02.01.2003 को शाम करीब पांच बजे विपक्षी मौ0 आलम अचानक घर आया तो उसने

देखा कि छत पर वादिया मुकदमा हैदर से हंस–हंस कर मोबाईल पर अश्लील बाते कर रही है। मौ0 आलम के सामने आने पर हैदर अपनी छत से नीचे भाग गया जब मौ0 आलम ने वादिया मुकदमा से मोबाईल छीनकर चैक किया तो पता चला कि फोन में सिम हैदर के नाम का है। वादिया रंगे हाथ पकडी गई थी। उसी दिन दिनांक 02.01.2023 को वादिया के परिजन उसे अपने साथ मायके ले गये, जिसका साक्ष्य मौजूद है।'' ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता का उत्तरदाता संख्या–2 के साथ एक छत के नीचे निवास करना अत्यन्त जोखिम भरा है। चूंकि अपीलकर्ता व उसके परिजनो को उत्तरदाता संख्या–2 व उसके परिजनो से जान माल का खतरा आज भी बना हुआ है। उत्तरदाता संख्या–2 व उसके परिजन सुलह समझौते के नाम पर दस लाख रूपये की मांग कर रहे है। दिनांक 23.12.2024 को उत्तरदाता संख्या–2 के अलावा उसके पिता अब्बास, चाचा असलम, श्रीमती आबदा व अफसाना ने अपीलकर्ता के साथ घर में घुसकर मारपीट व तोड फोड की थी तथा दस लाख रूपये देकर मामला निपटाने, जानसे मारने व जेल में सडाने की धमकी दी थी। इस संबंध में अपीलकर्ता के पिता अकरम द्वारा एक परिवाद संख्या 04/2025 मौ0 अकरम बनाम अब्बास आदि धारा 115(2),333,324(2)बी0एन0एस0 न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है। अपीलकर्ता व उसके परिजनो पर दबाव बनाने की मंशा से अपीलकर्ता के पिता, भाई व बुजुर्ग ताया पर बलात्कार करने का प्रयास जैसे झूठे आरोप लगाकर दहेज प्रताडना का एक मुकदमा पंजीकृत कराया था जो आरोप पुलिस जांच में झूठे व बेबुनियाद पाये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिना यह विचार किये कि उत्तरदाता संख्या–2 वास्तविक रूप से घरेलू हिंसा से पीडित है अथवा नही। अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त आधारो पर प्रश्नगत आदेश निरस्त करने की याचना की गयी है।

3. परिवादनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम में कथन किया गया है कि प्रार्थिया उक्त वाद की पीडिता एवं वादिया है। उक्त वाद के विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया के साथ घेरलू हिंसा कारित करके घर से निकाल दिया है। प्रार्थिया अपने बच्चे सहित अपने मां बाप के घर उनपर बोझ बनकर रह रही है एवं प्रार्थिया का अपना कोई आमदनी का जरिया नही है। विपक्षी आज जिस ग्रहस्थ ग्रह में प्रार्थिया का निकाह करके ले गया था, उस सहभागी ग्रहस्थ ग्रह में पीडिता को रहने का विधिक अधिकार है, लेकिन विपक्षीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित करके प्रार्थिया को सहभागी ग्रस्थ ग्रह से बाहर कर रखा है एवं प्रार्थिया का सामान स्त्रीधन व निजी सामान अपने नाजायज कब्जे में ले रखा है, चूंकि प्रार्थिया के पास रहने, निवास करने का कोई प्रबन्ध नही है एवं अपना जीवन यापन करने में भी असमर्थ है। इसलिए प्रार्थिया को उसके सहभागी ग्रहस्थ घर में उन्हीं सुविधाओ सहित निवास करने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

4. विपक्षी/अपीलार्थी द्वारा वादिनी के परिवाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 19 घरेलू हिंसा अधिनियम के विरोध में अपने उत्तर पत्र के पैरा–21 में यह कथन किया है कि वादिया का पैरा संख्या–6 में यह कथन करना कि दिनांक 15.03.2023 को उसे गर्भ की स्थिति में तन्हा तीन कपडो में मारपीट करके घर से निकाल दिया था, झूठे व बेबुनियाद कथनो पर आधारित है, जबकि वास्तविकता यह है कि वादिया विपक्षीगण के पडौस के निवासी लडके हैदर पुत्र नजम के साथ मिलने जुलने लगी थी और चोरी छुपे हैदर के

साथ मोबाईल पर बाते करती रहती थी। वादिया के व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था। वह विपक्षी मौ0 आलम से अलग रहने लगी थी और घर में बिना वजह लडाई झगडा करने लगी थी। हैदर ने वादिया को एक मोबाईल फोन दिया हुआ था जिससे वह बाते करती रहती थी और विपक्षी मौ0 आलम की गैर मौजूदगी में बहाना बनाकर हैदर से मिलने जुलने लगी थी। वादिया मुकदमा को समझाने का प्रयास किया तो वह झूठे मुकदमों में फसाने की धमकियां देने लगी। दिनांक 02.01.2023 को शाम करीब पांच बजे विपक्षी मौ0 आलम अचानक घर आया तो उसने देखा कि छत पर वादिया मुकदमा हैदर से हंस–हस कर मोबाईल पर अश्लील बाते कर रही है। मौ0 आलम ने वादिया मुकदमा से मोबाईल छीनकर चैक किया तो पता चला कि फोन में सिम हैदर के नाम का है। यह फोन हैदर ने ही वादिया मुकदमा को दे रखा था। सच्चाई सामने आने पर वादिया तैश में आ गई और लडाई झगडा करने लगी और घर से भाग गई तथा दो तीन घण्टे के बाद हैदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पायी गई, उसी दिन वादिया मुकदमा के परिजनो को सूचित किया गया। वादिया के परिजन हमारे घर आये और विपक्षी ने वादिया की सारी हरकतो के बारे में बताया तब सबके सामने वादिया मुकदमा ने कहा कि वह विपक्षी मौ0 आलम के साथ नही रह सकती। वह उसे पसन्द नही है। वादिया की इस हरकत की वजह से विपक्षीगणो की पूरे गांव व मौहल्ले में बहुत बेईज्जती हुई। वादिया मुकदमा ने सबके सामने यह भी कहा कि जो उसे अच्छा लगेगा वह करेगी। वह किसी के दबाव में नही रहेगी। उसी दिन दिनांक 02.01.2023 को वादिया के परिजन उसे अपने साथ मायके ले गये, जिसका साक्ष्य मौजूद है। वादिया मुकदमा द्वरा झूठे कथनो के आधार पर एक मुकदमा अपराध संख्या 79/2023 धारा 498ए,323,504,506,376,511 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम महिला थाना सहारनपुर में दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने जांच की तो धारा 376,511 भा0द0सं0 के अपराध का होना नही पाया गया। पुलिस ने धारा 498ए,323,504,506 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विपक्षीगण मौ0 आलम, फिरोज, शबनम, अकरम, शमशीदा के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी तथा साक्ष्य के अभाव में विपक्षी शमीम की नामजदगी गलत पायी गई। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें विपक्षीगण मौ0 फिरोज व श्रीमती शबनम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 28444/2025 में विपक्षीगण मौ0 फिरोज व श्रीमती शबनम के विरूद्ध कार्यवाही सीगित करने का आदेश पारित किया गया। जहां तक पुत्र अबु बकर का जन्म दिनांक 25.05.2023 को होना कथन किया गया है उसकी जानकारी विपक्षीगण को वादिया द्वारा किये गये मुकदमो से प्राप्त हुई। वादिया मुकदमा द्वारा अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन को अपने चरित्र के द्वारा दुषित किया गया जिसकी वजह से देानो परिवारो को लज्जित होना पडा और अपनी चरित्रहीनता के कारण ही वादिया मुकदमा अपने मायके में रह रही है। वादिया मुकदमा अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने के लिये स्वयं जिम्मेदार है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 31.03.2026 में उल्लिखित किया गया है कि घरेलू हिंसा की धारा 19 में यह स्पष्ट अवधारित है कि मजिस्ट्रेट को पीडित महिला को उसके साझा घर में रहने का अधिकार सुरक्षित करने, प्रतिवादी को बेदखल करने या उसके घर में दखल देने से रोकने और उसे घर से बाहर निकालने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, साथ ही महिला या बच्चे की सुरक्षा के

लिए अतिरिक्त शर्ते भी लगा सकती है, ताकि उसे हिंसा मुक्त आवास मिल सके। वादिया ने अपने वाद पत्र में यह कथन किया है कि विपक्षीगण ने वादिया को घरेलू हिंसा कारित करके घर से निकाल दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादिया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम स्वीकार करते हुए विपक्षी/अपीलकर्ता को आदेशित किया गया है कि वह प्रार्थिया को अपने मौहल्ला गुलाम साबिर, कस्बा गंगोह, जिला सहारनपुर के मकान में रहने से तब तक निवारित नही करेगा, जब तक किसी सक्षम न्यायालय का स्पष्ट आदेश इस संबंध में प्राप्त नही कर लेंगे, साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने के अधिकार की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चूंकि प्रार्थिया अर्न्तगत धारा 125 द.प्र.सं. के अन्तर्गत अपर परिवार न्यायालय सहारनपुर के आदेशानुसार भरण पोषण भत्ता नियमित रूप से प्राप्त कर रही है इसलिए प्रार्थिया धारा 23 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने के अधिकारी नही है।

6. प्रस्तुत मामले अपील अपीलकर्ता मौ0 आलम की ओर से अन्तर्गत धारा 19 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 में विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,चतुर्थ, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.03.2026 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

7. अपीलकर्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपील की पत्रावली एवं मूल पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया ।

8. **19. निवास आदेश (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा–**

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना;

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना;

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्य संक्रान्त करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने से अवरुद्ध करना;

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना;या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराये का संदाय करने, यदि परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करे, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करनाः

परन्तु यह कि खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति के, जो महिला है, विरुद्ध पारित नहीं किया जायेगा।

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किये जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से, एक बन्धपत्र, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जायेगा और तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।
(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा।
(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराये और अन्य संदायों के उन्मोचन से सम्बन्धित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा।
(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता जव में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, निदेश कर सकेगा।
(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य सम्पत्ति या मूल्यवान उवत प्रतिभूति का, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा।

23. अन्तरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति– (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अन्तरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा।
(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या उसका कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाये, शपथ–पत्र के आधार पर, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा।

9. न्यायालय को यह देखना है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में दिये गये आधारो पर उक्त अपील संघार्य योग्य है या नही व विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने योग्य है अथवा नही।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम में यह कथन किया है कि वह अपीलार्थी/मौ0 आलम की पत्नी है एवं शादी के बाद वो अपीलार्थी एवं अन्य विपक्षीगण के साथ निवास करती है। वादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र के पैरा नं0–6 में यह कथन किया है कि विपक्षी शमीम की गलत हरकतो पर प्रार्थिया के द्वारा शिकायत करने की वजह से विपक्षीगण ने प्रार्थिया को गर्भ की स्थिति में अपने घर से मारपीट करके दिनांक 15.03.2023 को निकाल दिया, जिसके बाद वादिय अपने मायके में आकर निवास कर रही है। जहां उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो उसके साथ ही रहता है। विपक्षी व उसके परिवार वाले इसके बाद उसको कभी देखने नही आये। विपक्षीगण द्वारा वादिया को उसके पिता के खर्च पर पिता के घर पर ही रहने के लिए छोड दिया गया। वादिया द्वारा धारा 12 प्रार्थना पत्र में अनुतोष के प्रस्तर–2 में धारा 19 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपने ससुराल में निवास करने व उसको बेदखल न किये जाने की प्रार्थना की है। इस संबंध में प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम दाखिल कर अन्तरिम भरण पोषण की प्रार्थना की गयी एवं प्रार्थना की गयी कि प्रार्थिया द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में मांगे गये अनुतोष अन्तरिम रूप से इसी स्तर पर विपक्षीगण के विरूद्ध दिलाये जाने हेतु आदेश पारित किया जाये।

11. उपरोक्त के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा अपने उत्तर पत्र के पैरा–21 में यह कथन किया है कि वादिया का पैरा संख्या–6 में यह कथन करना कि दिनांक 15.03.2023 को उसे गर्भ की स्थिति में तन्हा तीन

कपडो में मारपीट करके घर से निकाल दिया था, झूठे व बेबुनियाद कथनो पर आधारित है, जबकि वास्तविकता यह है कि वादिया विपक्षीगण के पडौस के निवासी लडके हैदर पुत्र नजम के साथ मिलने जुलने लगी थी और चोरी छुपे हैदर के साथ मोबाईल पर बाते करती रहती थी। वादिया के व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था। वह विपक्षी मौ0 आलम से अलग रहने लगी थी और घर में बिना वजह लडाई झगडा करने लगी थी। हैदर ने वादिया को एक मोबाईल फोन दिया हुआ था जिससे वह बाते करती रहती थी और विपक्षी मौ0 आलम की गैर मौजूदगी में बहाना बनाकर हैदर से मिलने जुलने लगी थी। वादिया मुकदमा को समझाने का प्रयास किया तो वह झूठे मुकदमों में फसाने की धमकियां देने लगी। दिनांक 02.01.2023 को शाम करीब पांच बजे विपक्षी मौ0 आलम अचानक घर आया तो उसने देखा कि छत पर वादिया मुकदमा हैदर से हंस–हस कर मोबाईल पर अश्लील बाते कर रही है। मौ0 आलम ने वादिया मुकदमा से मोबाईल छीनकर चैक किया तो पता चला कि फोन में सिम हैदर के नाम का है। यह फोन हैदर ने ही वादिया मुकदमा को दे रखा था। सच्चाई सामने आने पर वादिया तैश में आ गई और लडाई झगडा करने लगी और घर से भाग गई तथा दो तीन घण्टे के बाद हैदर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पायी गई, उसी दिन वादिया मुकदमा के परिजनो को सूचित किया गया। वादिया के परिजन हमारे घर आये और विपक्षी ने वादिया की सारी हरकतो के बारे में बताया तब सबके सामने वादिया मुकदमा ने कहा कि वह विपक्षी मौ0 आलम के साथ नही रह सकती। वह उसे पसन्द नही है। वादिया की इस हरकत की वजह से विपक्षीगणो की पूरे गांव व मौहल्ले में बहुत बेईज्जती हुई। वादिया मुकदमा ने सबके सामने यह भी कहा कि जो उसे अच्छा लगेगा वह करेगी। वह किसी के दबाव में नही रहेगी। उसी दिन दिनांक 02.01.2023 को वादिया के परिजन उसे अपने साथ मायके ले गये, जिसका साक्ष्य मौजूद है। वादिया मुकदमा द्वरा झूठे कथनो के आधार पर एक मुकदमा अपराध संख्या 79/2023 धारा 498ए,323,504,506,376,511 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम महिला थाना सहारनपुर में दर्ज कराया, जिसमें पुलिस ने जांच की तो धारा 376,511 भा0द0सं0 के अपराध का होना नही पाया गया। पुलिस ने धारा 498ए,323,504,506 भा0द0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विपक्षीगण मौ0 आलम, फिरोज, शबनम, अकरम, शमशीदा के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी तथा साक्ष्य के अभाव में विपक्षी शमीम की नामजदगी गलत पायी गई। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें विपक्षीगण मौ0 फिरोज व श्रीमती शबनम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र संख्या 28444/2025 में विपक्षीगण मौ0 फिरोज व श्रीमती शबनम के विरूद्ध कार्यवाही स्थगित करने का आदेश पारित किया गया। जहां तक पुत्र अबु बकर का जन्म दिनांक 25.05.2023 को होना कथन किया गया है उसकी जानकारी विपक्षीगण को वादिया द्वारा किये गये मुकदमो से प्राप्त हुई। वादिया मुकदमा द्वारा अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन को अपने चरित्र के द्वारा दुषित किया गया जिसकी वजह से दोनो परिवारो को लज्जित होना पडा और अपनी चरित्रहीनता के कारण ही वादिया मुकदमा अपने मायके में रह रही है। वादिया मुकदमा अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने के लिये स्वयं जिम्मेदार है। अतः स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने उत्तर पत्र में वादिया से शादी किये जाने के तथ्य एवं वादिया का उसके साथ निवास करने के तथ्य

का खण्डन अपने उत्तर पत्र में नही किया है, जिससे यह स्थापित है कि वादिया की शादी अपीलार्थी के साथ हुई है एवं अपीलकर्ता के साथ निवास करती है।

12. उपरोक्त वर्णित धारा 23 उप धारा(2)घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम 2005 के परिशीलन से स्पष्ट है कि यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया उसको कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह सम्भावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे रूप में जो विहित किया जाये, शपथपत्र के आधार पर यथास्थिति, धारा 18, 19, 20, 21 या 22 के आधीन प्रत्यर्क्षी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश दे सकेगा। अतः स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 23 के प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय धारा 19 के प्रार्थना पत्र से संबंधित अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा अपने धारा 12 के प्रार्थना पत्र में धारा 19 से संबंधित अनुतोष की प्रार्थना की गयी है। साथ ही धारा 23 के प्रार्थना पत्र में भी वादिया द्वारा 12 में उल्लेखित अनुतोषो को अन्तरिम रूप से प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में मूल पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि अपीलकर्ता द्वारा मूल पत्रावली में दाखिल उत्तर पत्र में प्रार्थिया श्रीमती जैनब के साथ दिनांक 17.05.2022 को निकाह होना स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ता प्रार्थिया/विपक्षी संख्या–2 का पति है। पति होने के नाते अपीलकर्ता का यह विधिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का विधिक रूप से भरण पोषण करे। भरण पोषण के अधिकार के अन्तर्गत निवास का अधिकार निहित है। प्रार्थिया जैनब स्वीकृत रूप से अपीलकर्ता मौ0 आलम की विधिक पत्नी है। अतः प्रार्थिया की प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के मकान में निवास करने के संबंध में जो आदेश विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह विधि सम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. उपरोक्त विवेचना व साक्ष्य तथा परित विधि व्यवस्थाओ के प्रकाश में न्यायालय का निष्कर्ष है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 31.03.2026 अपने निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उचित रूप से गुण दोष के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता नही है। अतएव फौजदारी अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

15. दाण्डिक अपील संख्या 30/2026 मौ0 आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 31.03.2026 पुष्ट किया जाता है। अपील में पारित आदेश की प्रति सहित मूल पत्रावली संबंधित न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षगण अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.2026 को उपस्थित हो। अपील की पत्रावली अभिलेखागार (फौजदारी) प्रेषित की जाये।

दिनांकः09.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायलय प्रथम,सहारनपुर।
जे.ओ.कोड यूपी 3845

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः09.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायलय प्रथम,सहारनपुर।
जे.ओ.कोड यूपी 3845